U.P. Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

Ref: UPERC/Secy./ADvt/2010-1492 Lucknow: Dated: 12.01.2010

Public Notice

In view of Hon'ble Supreme Court decision in the matter of Maharashtra Electricity Regulatory Commission vs. Reliance Energy Ltd. & Ors.(Appeal no.2846/2006)(available at Supreme Court website- www.supremecourtofindia.nic.in) and decisions of Appellate Tribunal of Electricity, in the matter of Polyplex Corporation Ltd. Vs. Uttaranchal Power Corporation & Ors.(Appeal no.220 of 2006), and M/s Premier Ispat (Pvt.) Ltd. Vs. UPPCL & Ors.(Appeal No.42 of 2006)(both available at website of Appellate Tribunal of Electricity- www.aptel.gov.in) petitions related to consumer disputes are not maintainable before Electricity Regulatory Commissions.

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) is in receipt of several petitions related to consumer disputes, which are pending before UPERC at different stages of proceeding. As the question of law involved, in all these petitions, relate to consumer disputes, therefore, it is expedient to consolidate all these cases and pass appropriate orders.

Notice is hereby issued to the petitioners of all consumer related petitions, and to all concerned, that UPERC proposes to dispose off all such petitions pending before it. If any such petitioner has anything to state in this matter, he/she is given a final opportunity to do so before UPERC on **5th February, 2010 at 11:00 hrs.** in the Conference Hall of the UPERC whereafter all consumer related petitions shall be disposed off by UPERC through appropriate order(s).

Secretary
UPERC

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वितीय तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ -226010

फोन - 2720426 फैक्स 2720423 ई–मेंल secretary@uperc.org

संख्या / यूपीईआरसी / सचिव / प्रका0 / 1492 दिनॉकः 12.01.2010

सार्वजनिक सूचना

माननीय उच्चतम न्यायालय के महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग बनाम रिलायंस एनर्जी लि0 तथा अन्य (अपील नं0 2846 / 2006) (जो माननीय उच्चतम न्यायालय की वेब साइट www.supremecourtofindia.nic.in पर उपलब्ध है) एवं पालीप्लेक्स कारपोरेशन लि0 बनाम उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0 तथा अन्य (अपील नं 220 / 2006) और मेसर्स प्रीमियर इस्पात (प्राइवेट) लि0 बनाम उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा अन्य (अपील नं 42 / 2006) में विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के निर्णयों (दोनो मामले विद्युत अपीलीय प्राधिकरण की वेबसाइट www.aptel.gov.in पर उपलब्ध) को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता विवादों सें संबंधित याचिकाएं विद्युत नियामक आयोग के समक्ष संपोषणीय (जारी रखने योग्य) नहीं है।

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ता विवादों से संबंधित अनेक याचिकाएं प्राप्त हुई है जो विभिन्न स्तरों पर सुनवाई हेतु लंबित है। चूंकि इन समस्त याचिकाओं के अन्तर्गत विधिक प्रश्न उपभोक्ता विवादों से संबंधित हैं, अतः यह उचित है कि इन समस्त विवादों को समेकित कर के समुचित आदेश पारित किए जाए।

उपभोक्ता विवादों से संबंधित याचिकादाताओं एवं सम्बंधितों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस प्रकार की समस्त याचिकाओं का निस्तारण प्रस्तावित है जो उसके समक्ष लंबित है। यदि कोई याचिकादाता इस संबंध में कुछ कहना चाहता है तो इसके लिए उसे अंतिम अवसर उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के समक्ष **5 फरवरी, 2010 को 11 बजे**, आयोग के कांफ्रेंस हाल में प्रदान किया जाता है जिसके पश्चात् समस्त उपभोक्ता याचिकाओं का निस्तारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा उचित आदेश पारित करके कर दिया जाएगा।

सचिव

उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग